न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्या:–06/2003 (225 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या – 2003/00006

उनवान

1. किशन सिंह
2. गोपाल सिंह
} पिसरान लख्मी जाति गुर्जर नि0 बंजी तहसील व जिला भरतपुर।

3. उदय सिंह
4. धर्म सिंह
5. जगदीश
6. लखन सिंह
7. लक्ष्मन सिंह
} पिसरान निहाल सिंह अकवाम गुर्जर नि0 खरका तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.......................अपीलांट।

बनाम

मांगीलाल पुत्र फूलचन्द उर्फ मूलचन्द जाति वैश्य निवासी उच्चैन तहसील उच्चैन जिला भरतपुर। (मृतक)

1/1. देवो
1/2. विनोद
1/3. विजय
1/4. आशा
1/5. कुसुम
1/6. अनीता
} पिसरान मांगीलाल।

1/7. रामवती वेवा मांगीलाल

.... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट विरूद्व आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास दिनांक 07.02.2003 उनवानी किशन सिंह बनाम किशनलाल प्र0स0 03/03

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री सोनीराम शर्मा उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री दुलीचन्द शर्मा उपस्थित।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

निर्णय दिनांक :–23.11.2021

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के आदेश दिनांक 07.02.2003 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/रैस्पो0 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 जा0दी0 विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वादीगण ने प्रार्थीयान/प्रतिवादीगण के खिलाफ एक दावा विवादित आराजी खसरा 172/20, 29, 30, 33 रकवा 20 बीघा वाके ग्राम रूँध खरका हस्व दफा 88, 89 व 188 प्रस्तुत किया था जो उन्होनें एक तरफा दिनांक 07.08.1992 को अपने हक में डिक्री करा लिया। उक्त डिक्री व निर्णय की अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गयी जिसमें न्यायालय हाजा ने आदेश दिनांक 28.09.2002 के द्वारा उक्त डिक्री दिनांक 07.08.1992 को निरस्त कर दिया। चूंकि वादीगण ने डिक्री दिनांक 07.08.1992 के आधार पर विवादित आराजी का दाख्खिला खारिज अपने नाम पर करा लिया था और उसके बाद वादीगण ने अपने रिश्तेदारान के नाम फर्जी बेचान कर कागजात पटवार में इन्द्राज करा दिये। अतः आदेश दिनांक 28.09.2002 की रोशनी में उक्त इन्द्राजात को कलमजन किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर डिक्री दिनांक 07.08.1992 से पूर्व की स्थिति कायम किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अपीलाधीन आदेश से स्वीकार कर लिया। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिए कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल है, जो काबिल निरस्तनीय है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.09.2002 के विरूद्ध निगरानी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत कर रखी है जिसमें न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 28.09.2002 के प्रभाव को अग्रिम आदेश तक स्थगित कर रखा है। जिसकी कैफीयत न्यायालय तहत में दिनांक 04.01.2003 को ही अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत कर दी गयी थी। इसके बाबजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के आदेश की अवहेलना करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि प्रार्थना पत्र जेर दफा 144 जा0दी0 एक अजनबी व्यक्ति ने पेश किया है जो वाद पत्र में पक्षकार ही नहीं था, इसलिये प्रार्थना पत्र मैनटेनेबिल नहीं था। उनका यह भी कथन है कि उक्त प्रार्थना पत्र में क्रेतागण को पक्षकार ही

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

नहीं बनाया जबकि उनके नाम खातेदारी थी, जब तक वयनामा निरस्त नहीं होते, तब तक उनके नाम कमलजन नहीं हो सकते। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन निगरानी के निर्णय तक स्थगित किये जाने का निवेदन किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। मांगीलाल अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार था अतः उनके द्वारा प्रार्थना पत्र लगाया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर वक्त निर्णय किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं था एवं ना ही किसी पक्षकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अपीलाण्ट के मौखिक कथन, बिना दस्तावेजी साक्ष्य प्रभावहीन हैं। अतः अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के स्थगन आदेश क्रंमाक/निगरानी/टीए/203/02/भरतपुर की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 28.09.2002 की पालना मण्डल के अन्य आदेश होने तक स्थिगित की गयी थी। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय हाजा के उक्त निर्णय दिनांक 28.09.2002 की पालना करते हुये, अपीलाधीन आदेश पारित करने में अहम त्रुटि की है, जो न्याय संगत नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास के निर्णय दिनांक 07.02.2003 की पालना एवं प्रभाव माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन निगरानी के निर्णय तक स्थगित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 23.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23.11.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर